



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग  
मध्य प्रदेश

पंजीयन प्रमाणपत्र

पंजीकरण का विवरण

ई पंजीकरण संख्या	MP179092020A1890229
पंजीकरण की तिथि	28/12/2020
ई-पंजीयन प्रमाणपत्र के प्रिन्ट करने की तिथि	04/01/2021
संपत्ति का मूल्य(यदि लागू है)	847552
प्रतिफल राशि / प्रतिभूत राशि / प्रीमियम राशि (रूपये)	1500000
पंजीयन शुल्क (रूपये)	25427
कुल स्टाम्प शुल्क (रूपये)	83794
उप पंजीयक का नाम	CHANCHAL JAIN
उप पंजीयक कार्यालय का नाम	उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर ।

विक्रेता - स्वयं

नाम तारा जायसवाल  
पिता/पति का नाम श्री गेंदालाल जायसवाल  
पता 62-सी, बैंक कॉलोनी, इन्दौर, इन्दौर, मध्य प्रदेश, भारत


खरीदार- स्वयं


नाम हिमांशु सोलंकी  
पिता/पति का नाम श्री मुकेश सोलंकी  
पता 65, रामबाग, झुशिला संकुल अपार्टमेन्ट, फ्लेट नंबर 102, इन्दौर, इन्दौर, मध्य प्रदेश, भारत.

नाम शीतल सोलंकी  
पिता/पति का नाम श्री हिमांशु सोलंकी  
पता 65, रामबाग, झुशिला संकुल अपार्टमेन्ट, फ्लेट नंबर 102, इन्दौर, इन्दौर, मध्य प्रदेश, भारत

Digitally signed  
by CHANCHAL  
KUMAR JAIN  
Date: 2021.01.04  
12:51:36 IST

उप पंजीयक के हस्ताक्षर







रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग  
मध्य प्रदेश



स्टाम्प शुल्क का प्रमाण पत्र

ई स्टाम्प विवरण

ई स्टाम्प कोड	01011726122020002972		
ई स्टाम्प राशि (रुपए)	83794		
शासकीय स्टाम्प ड्यूटी (रुपए)	48903	नगर पालिका ड्यूटी (रुपए)	15000
जनपद ड्यूटी (रुपए)	15000	उपकर राशि (रुपए)	4891
छूट दी गई राशि (रुपए)	0		
ई स्टाम्प का प्रकार	गैर न्यायिक		
निर्गमन तिथि एवं समय	26/12/2020 12:38:42		
यूजर आईडी / जारीकर्ता	रोहित भगत/SP011743204201800049		
एस पी / एस आर ओ /	Ds-7 Shopping Complex A.B. Road Indore इन्दौर इंदौर		
डी आर ओ / एच ओ विवरण			

डीड विवरण

विलेख का प्रकार	हस्तांतरण-पत्र
लिखत	हस्तांतरण-पत्र, जो ऐसे अंतरण के लिए नहीं है, जिसके लेखे क्रमांक 61 के अधीन प्रभार लगता है या छू गई है। - उस संपत्ति, जो कि हस्तांतरण-पत्र की विषय-वस्तु है, " बाजार मूल्य गाइडलाइन " के अनुसार सम्पत्ति के मूल्य का 5 प्रतिशत तथा वास्तविक संव्यवहार मूल्य या बाजार मूल्य इनमे से जो भी अधिक ऐसे अतिरिक्त भाग पर प्रभार्य शुल्क की दर 1 प्रतिशत निगत।
उद्देश्य	हस्तांतरण-पत्र


पहले पक्ष के विवरण


नाम	तारा जायसवाल
पता	62-सी, बैंक कालोनी, इन्दौर
व्यक्तियों की संख्या	1

दूसरे पक्ष के विवरण

नाम	शीतल सोलंकी
पता	65, रामबाग, शुशिला संकुल अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 102, इन्दौर
व्यक्तियों की संख्या	2

विक्रय-पत्र







रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग  
मध्य प्रदेश

॥ जय श्री गणेश ॥

विक्रय-पत्र

भवन (फ्लेट) का विक्रय पत्र लिख देने वाले:-

सुश्री तारा जायसवाल पिता श्री गेंदालाल जायसवाल  
निवासी द्वारा गोकुलप्रसाद जायसवाल,  
62-सी, बैंक कालोनी, इन्दौर  
मध्यप्रदेश - - - - - विक्रेतापक्ष

(जिनको इस लेख में आगे सुविधा की दृष्टि से विक्रेतापक्ष के नाम से संबोधित किया गया है जिसमें वे स्वयं उनके वारसान, असाईनीज, उत्तराधिकारी निष्पादक, आदि सम्मिलित है)

(1) श्री हिमांशु सोलंकी पिता श्री मुकेश सोलंकी  
(2) श्रीमती शीतल सोलंकी पति श्री हिमांशु सोलंकी  
दोनों निवासी 65, रामबाग, सुशीला संकुल अपार्टमेन्ट,  
फ्लेट नंबर 102, इन्दौर  
मध्यप्रदेश - - - - - क्रेतापक्ष


(जिनको इस लेख में आगे सुविधा की दृष्टि से क्रेतापक्ष के नाम से संबोधित किया गया है जिसमें वे स्वयं उनके वारसान, असाईनीज, उत्तराधिकारी निष्पादक, आदि सम्मिलित है)

विक्रेतापक्ष आप क्रेतापक्ष के हित में यह विक्रय पत्र लिख देते हैं कि:-

(1) यह कि, विक्रेतापक्ष के स्वामित्व, एवं आधिपत्य का भवन (फ्लेट) शहर इन्दौर पर विकसित कालोनी "रामबाग" यहा पर स्थित भूखण्ड क्रमांक पुराना 178 व नया नंबर 62 पर निर्मित बहुमंजिला भवन "सुशीला संकुल" पैकि द्वितीय मंजिल का भवन (फ्लेट) क्रमांक 203 है। सदर भवन (फ्लेट) विक्रेतापक्ष ने ज रजिस्टर्ड दस्तावेज पंजीयन क्रमांक 1अ/603 दिनांक 24.06.2005 के द्वारा विधिवत रूप से क्रय किया इस प्रकार विक्रेतापक्ष उक्त संपत्ति के मालिक एवं कब्जेधारी होकर उक्त संपत्ति के काबिज है, इस प्रकार उन्हें उक्त संपत्ति विक्रय करने का पूर्ण वैधानिक अधिकार है। सदर भवन (फ्लेट) आवासीय क्षेत्र में स्थित होकर आवासीय उपयोग का है। सदर भवन (फ्लेट) की चतुःसीमा निम्नानुसार है:-

विक्रीत भवन (फ्लेट) का वर्णन व चतुःसीमा निम्नानुसार है:-

विक्रीत भवन (फ्लेट) शहर इन्दौर पर विकसित कालोनी "रामबाग" यहा पर स्थित भूखण्ड क्रमांक पुराना





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग  
मध्य प्रदेश

प्रस्तुति मुद्रा :

शीतल सोलंकी

पत्नी श्री हिमांशु सोलंकी




*Handwritten signature*



के द्वारा उप जिला इन्दौर जिला इंदौर के उप पंजीयक कार्यालय में तारीख 28/12/2020 को मध्यान्ह पूर्व/मध्यान्ह पश्चात 03:05:44 बजे प्रस्तुत किया गया।

*Handwritten signature*

CHANCHAL JAIN  
उप पंजीयक  
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग  
मध्य प्रदेश

178 व नया नंबर 62 पर निर्मित बहुमंजिला भवन "सुशीला संकुल" पैके द्वितीय मंजिल का भवन (फ्लेट क्रमांक 203) है। सदर भवन (फ्लेट) का सुपर बिल्टअप एरिया 600 वर्गफीट (अर्थात 55.76 वर्गमीटर) है। सदर भवन (फ्लेट) मालकी हक्क का होकर इसकी पार्टीशन वाल सामलाती उपयोग व उगभोग की रहेगी तथा छत के अधिकार इस विक्रय में सम्मिलित नहीं है। सदर भवन (फ्लेट) के निकास की व्यवस्था सामुहिक उपर के कामन पैसेज, गलियारा एवं चढ़ाव से होकर है। सदर भवन (फ्लेट) में नल विद्युत कनेक्शन चालू हालत में है। सदर भवन (फ्लेट) आवासीय क्षेत्र में स्थित होकर आवासीय उपयोग का है। सदर भवन (फ्लेट) मुख्य ग से अन्दर की ओर स्थित है। सदर भवन (फ्लेट) की चतुःसीमा निम्नानुसार है:-

पूर्व में: पैसेज पश्चात बेकलेन  
पश्चिम में: फ्लेट नंबर 201  
उत्तर में: फ्लेट नंबर 202  
दक्षिण में: मकान नंबर 63 नया नंबर 66

(2) उपरोक्त वर्णित चतुःसीमा के मध्य की तथा वर्णन की यह संपत्ति विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष को अपने स्व एवं अधिकारों सहित रूपये 15,00,000/- (अक्षरी रूपये पन्द्रह लाख मात्र) में विक्रय की है। तथा प्रतिफल की सम्पूर्ण धनराशि विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष से निम्नानुसार रितीयों से प्राप्त किये:-

रूपये 10,950/- (अक्षरी रूपये दस हजार नौ सौ पचास मात्र) विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष से साक्षियों के समक्ष नगदी प्राप्त किये एवं


रूपये 14,89,050/- (अक्षरी रूपये चौदह लाख उननब्बे हजार पचास मात्र) क्रेतापक्ष को गृह ऋण पेटे एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा जारी एक्सिस बैंक लिमिटेड के बैंकर्स चेक क्रमांक 427960 दिनांक 22.12.2020 के माध्यम से विक्रेतापक्ष ने प्राप्त किये। अब प्रतिफल का कुछ भी शेष लेना बाकी रहा नहीं

कुल योग 15,00,000/- (अक्षरी रूपये पन्द्रह लाख मात्र)

(3) उपरोक्त वर्णन व चतुःसीमा के बीच के भवन (फ्लेट) को इस लेख में आगे सुविधा की दृष्टि से "सदर संपत्ति" शब्द से संबोधित किया गया है।

(4) यह कि, अब इस विक्रय व्यवहार एवं प्रतिफल बाबद् विक्रेतापक्ष को आप क्रेतापक्ष से कोई भी धनराशि लेना बकाया नहीं रही होने से विक्रेतापक्ष ने आप क्रेतापक्ष को विक्रीत सदर संपत्ति का रिक्त एवं मूर्तिमंत आधिपत्य मय असल दस्तावेजों सहित साक्षीगणों के समक्ष मौके पर सौंप दिया है एवं क्रेतापक्ष ने आधिपत्य प्राप्त कर लिया है।

(5) यह कि, उक्त चरण 1 में वर्णित सदर संपत्ति विक्रेतापक्ष के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर इसे विक्रय रिती एवं प्रतिफल के फलस्वरूप विक्रय कर अंतरित कर देने का एवं यह विक्रय विलेख क्रेतापक्ष के हित में





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग  
मध्य प्रदेश

निष्पादन की मुद्रा :

तारा जायरावाल

पुत्री/आत्मजा श्री गेंदालाल जायसवाल

पता: 62-सी, बैंक कालोनी, इन्दौर

स्वीकार करते हैं कि कथित हस्तांतरण-पत्र विलेख का निष्पादन किया गया था और प्रतिफल के पूर्ण रूप 1500000 प्राप्त हो गये हैं तथा रूप 0 उन्हें मेरी उपस्थिति में चुकाये गये थे और प्रतिफल की बकाया रकम रूप 0 बच गयी है, जो पंजीयन के बाद प्राप्त होगी।  
। तारीख 28/12/2020

CHANCHAL JAIN

उप पंजीयक

उप पंजीयक कार्यालय





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग  
मध्य प्रदेश

निष्पादित कर पंजीयन कर देने का पूर्ण वैधानिक अधिकार विक्रेतापक्ष को है।

(6) यह कि, विक्रेतापक्ष यह स्पष्ट करते है कि उन्होने उक्त चरण 1 मे वर्णित सदर संपत्ति को आप क्रेतापक्ष अतिरिक्त कही अन्यत्र अनुबंधित भारित बोझित या बिक्री की नही है तथा ऐसे अंतरण के लिये कोई लिखित अनुबंध भी किसी के हित मे निष्पादित नही किया है। विक्रेतापक्ष के द्वारा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सदर संपत्ति पर किसी भी व्यक्ति या वित्तीय संस्था का किसी प्रकार का कोई ऋण भार, स्वत्व हित या अधिकार नही है और न ही इस विक्रय व्यवहार मे किसी को कोई आपत्ति है। उक्त सदर संपत्ति संपूर्ण रूप से भार मुक्त होकर भार रहित अवस्था मे ही विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष को विक्रय की है।

(7) यह कि, विक्रेतापक्ष के द्वारा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त चरण 1 मे वर्णित सदर संपत्ति के सम्बन्ध मे उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य बाबद् इस विक्रय, विलेख पंजीयन दिनांक तक या भविष्य मे कोई उजर या आपत्ति उत्पन्न हुई अथवा विक्रेतापक्ष के किसी वारिस, उत्तराधिकारी या हितग्राहि अथवा किसी भी व्यक्ति या वित्तीय संस्था के द्वारा कोई उजर या आपत्ति उत्पन्न की गई तो उसके निराकरण का संपूर्ण दायित्व विक्रेतापक्ष का रहेगा एवं इस बाबद् आप क्रेतापक्ष को किसी भी प्रकार का कोई खर्च या नुकसानी नही लगने देवेगे।


(8) यह कि, विक्रेतापक्ष ने उक्त चरण 1 मे वर्णित संपत्ति आप क्रेतापक्ष को विक्रय रीति एवं प्रतिफल के फलस्वरूप विक्रय कर अंतरित कर दिया होने से विक्रेतापक्ष और उसके वारिसान के सभी स्वत्व, हित, अधिकार इस विक्रय विलेख के द्वारा आप क्रेतापक्ष मे वैधित हो गये है, अब आप क्रेतापक्ष इस बिक्रीत संपत्ति के मालिक हो गये होकर इसका उपयोग एवं उपभोग अपनी स्वेच्छानुसार करने के लिये स्वतंत्र रहेगे, जिस विक्रेतापक्ष एवं उसके वारिसान को किसी प्रकार की कोई उजर या आपत्ति नही रहेगी।

(9) यह कि, उक्त चरण 1 मे वर्णित सदर संपत्ति के संबंध मे देय समस्त शासकीय, टेक्सिस, नगर निगम व संपत्ति कर, मेन्टेनेंस सोसायटी के ड्यूज, मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का ड्यूज आदि जो भी हो को विक्रय विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन दिनांक तक के लिये अदा करने की जवाबदारी विक्रेतापक्ष की है, तथा विक्रय विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन दिनांक के पश्चात उक्त संपत्ति के संबंध मे होने वाले समस्त दायित्वों को निर्वाह करने की जवाबदारी क्रेतापक्ष की है।

(10) यह कि, उक्त चरण 1 मे वर्णित सदर संपत्ति के स्वामित्व बाबद् आप क्रेतापक्ष इन्दौर नगर पालिक निगम, इन्दौर, संस्था एवं समस्त शासकीय कार्यालयों एवं विभागों के अभिलेखों मे विक्रेतापक्ष के नाम के स्थान पर अपना नाम स्वयं के व्यय से दर्ज करा लें एवं ऐसी सभी कार्यवाहियों मे विक्रेतापक्ष आप क्रेतापक्ष को संपूर्ण सहयोग एवं सहायता प्रदान करने के लिये वचनबद्ध एवं बाध्य रहेगे।

(11) यह कि, इस विक्रय विलेख मे विक्रेतापक्ष स्वयं तथा इन्होके समस्त वारिसान, उत्तराधिकारी वैध प्रतिनिधि, असाईनीज, एवं समस्त हितग्राहि आदि का समावेश होकर इन सभी पर समान रूप से बंधन कारक रहेगा।

(12) यह कि, बिक्रीत संपत्ति का आज दिनांक तक का समस्त टेक्स व शासकिय अर्द्ध शासकीय देयक जो





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग  
मध्य प्रदेश

गवाह मुद्रा :

MITA SOLANKI

पत्नी RAHUL JI

पता: 174 SUBHASH MARG INDORE


SHOBHA SOLANKI

पत्नी RAJESH JI

पता: 124 TILAK PATH INDORE

की जाँच पूर्वोक्त निष्पादक / निष्पादकों की शिनाख्त के विषय में की गयी है । तारीख 28/12/2020

CHANCHAL JAIN  
उप पंजीयक  
उप पंजीयक कार्यालय इ





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग  
मध्य प्रदेश

इस संपत्ति पर नियमानुसार देय होते हैं, वे विक्रेता वहन करेंगे एवं आज दिनांक के पश्चात भुगतान करने व दायित्व क्रेता पर रहेगा।

(13) यह कि, विक्रीत संपत्ति के स्वत्व एवं अधिकारों के संबंध में किसी ने भी कोई दावा या विवाद आदि किया तो उसका समस्त दायित्व व व्यय विक्रेता द्वारा वहन किया जावेगा, इस कारण से विक्रेता, क्रेता को किसी प्रकार की कोई क्षति न होने देगे।

(14) यह कि, क्रेता ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे की भवन की मजबूती में कमी आवे, तथा सुन्दरता को कोई व्यवधान उत्पन्न होवे।

(15) यह कि, क्रेता इस भवन के कामन पैसेज, चढ़ाव तथा अन्य सुविधाओं का उपयोग इस भवन के अन्य फ्लेट होल्डर के साथ शामिलानी में कर सकेगे, तथा इस भवन का मेन्टेनेन्स क्रेता अन्य फ्लेट आनर्स के साथ शामिलानी में आनुपातिक हिसाब से करेंगे। तथा इसका व्यय का भुगतान भी शामिलानी में करेंगे। यह कि उक्त संपत्ति के उत्तर दिशा में स्थित लगभग डेढ़ सौ वर्गफिट की खुली भूमि का सुखाधिकार केवल विक्रेता को विक्रय पत्र दिनांक से प्राप्त है, तद सुखाधिकार अब क्रेता में अंतरित होकर समाविष्ट हो गये है।

(16) यह कि, म.प्र. प्रकोष्ठ सह स्वामित्व भवन अधिनियम 1976 की धारा 2 के प्रावधानों के अंतर्गत घोषणा पत्र का पंजीयन क्रमांक 1अ/294/ज दिनांक 21.05.2004 के अनुसार श्रीमान उप पंजीयक महोदय, जिला इन्दौर के कार्यालय में करवा लिया है।

(17) यह कि, सदर भवन यदि भविष्य में जमींदोज होता है तो क्रेता को अपनी मंजिल, स्थान, क्षेत्रफल में निर्माण करने का अधिकार रहेगा।

(18) यह कि, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 22-क के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है।


यह विक्रय पत्र विक्रेता ने स्वेच्छा से क्रेता के पक्ष में तथा हित में निष्पादित कर दिया है, तथा इस विलेख को पढ़कर, सुनकर, समझकर हस्ताक्षर किये हैं, ताकि प्रमाण रहे।

इति,

दिनांक- 26.12.2020

इन्दौर

This deed has been prepared, drafted and uploaded as per instructions, information and facts provided by the parties of the deed. I Service Provider, who drafted this deed, and booked the slot (and not involved in any activity of the deed viz. Drafting, typing of the deed, validity of the identity of the parties, site photographs and entire facts, recitals and data of the deed), have not gone through the facts of the deed viz. Identity of the parties, ownership





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग  
मध्य प्रदेश

अंगुष्ठ चिह्न गुद्रा :



*Tara Jayaswal*



इस दस्तावेज के निष्पादक तारा जायसवाल पुत्री/आत्मजा श्री गेंदालाल जायसवाल के अंगुठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 28/12/2020 को लिया गया ।

*Chanchal Jain*

CHANCHAL JAIN  
उप पंजीयक  
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर ।




*Himanshu Solanki*



इस दस्तावेज के निष्पादक हिमांशु सोलंकी पुत्र/आत्मज श्री मुकेश सोलंकी के अंगुठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 28/12/2020 को लिया गया ।

*Chanchal Jain*


CHANCHAL JAIN  
उप पंजीयक  
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर ।





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग  
मध्य प्रदेश

(title) of the owner(s), site photographs (if any), all the facts and recitals of the deed etc. So the (Service Provider of this deed) will not take any responsibility whether criminal, civil, or taxation specially laws related to registration Act 1908 section 82 and all provisions regarding any offence, penalty imprisonment under registration Act, rules, manuals, circulars etc, Indian Stamp Act 1899 and its rules, cyber law and all other acts, rules, circulars, an instructions of various officers/Authorities etc regarding above. I.e. Service Provider disowned all the legal, factual, criminal and all other responsibilities which are not mentioned in this Disclaimer.





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग  
मध्य प्रदेश

अंगुष्ठ चिन्ह मुद्रा :



*Shukla*



इस दस्तावेज के निष्पादक शीतल सोलंकी पत्नी श्री हिमांशु सोलंकी के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 28/12/2020 को लिया गया ।

*Chanchal Jain*

CHANCHAL JAIN  
उप पंजीयक  
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर ।

गवाह मुद्रा :



*M. Solanki*




MITA SOLANKI



*Shobha Solanki*



SHOBHA SOLANKI





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग  
मध्य प्रदेश

संपत्ति विवरण अनुलपक

संपत्ति आईडी	1797202005223807
संपत्ति का प्रकार	बिल्डिंग
संपत्ति का सीमा चिन्ह : --	
संपत्ति का पता : भवन (फ्लैट) शहर इन्दौर पर विकासेत कालोनी "रामबाग" यहा पर स्थित भूखण्ड क्रमांक पुराना 178 व नया नंबर 62 पर निर्मित बहुमंजिला भवन "सुशीत संकुल" पैकि द्वितीय मंजिल का भवन (फ्लैट) क्रमांक 203 है।	
विकास खण्ड (विकास खंड) : --	
राजस्व निरीक्षक वृत्त : --	
लेआउट का विवरण : --	
नजूल / शीट क्रमांक : --	
भूखण्ड क्रमांक : --	


संपत्ति विवरण - बहुमंजिला भवन - आवासीय	
जिला	इंदौर
तहसील	इन्दौर
क्षेत्र प्रकार	नगरीय क्षेत्र
अधिशायी नगरीय निकाय : नगर निगम इंदौर	
वार्ड : वार्ड न0 57 ( देवीअहिल्या बाई)	
ग्राम / मोहल्ला / कालोनी : रामबाग गली	
फ्लैट का कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	55.76
निर्मित क्षेत्रफल (वर्गमीटर)*	55
सर्वोनिष्ठ क्षेत्रफल (वर्गमीटर)*	0.76
तल प्रकार	दूसरी मंजिल
क्या भवन 20 वर्ष से अधिक पुराना है	नहीं
क्या भवन 20 वर्ष से अधिक, लेकिन 50 वर्ष से कम पुराना है	नहीं
क्या भवन 50 वर्ष से अधिक पुराना है	नहीं




रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग  
मध्य प्रदेश

स्टाम्प शुल्क मुद्रा:

स्टाम्प शुल्क	48903
नगरीय शुल्क	15000
जनपद पंचायत शुल्क	15000
उपकर	4891
अतिरिक्त शुल्क	0
चुकाया गया स्टाम्प शुल्क	83794

  
CHANCHAL JAIN  
उप पंजीयक  
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर








रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग  
मध्य प्रदेश

क्या भवन में लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध है

हाँ

कुल मुद्रांक एवं छूट

छूट मुद्रांक शुल्क (रु)	0.0	छूट पंजीयन शुल्क (रु)	0.0
कुल देय शुल्क (रु)	83794.0	कुल देय पंजीयन शुल्क	25427.0
प्रतिफल राशि (रु)			1500000





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग  
मध्य प्रदेश

वीहम इन दस्तावेज के सभी पृष्ठों के विवरणों एवं परिस्थितियों को, दस्तावेज के आईडी 20371773 एचएम ई-स्टाम्प कोड 01011726122020002972 के, के प्रच्छेद हजांक 1 से 2 सहित, एतद् द्वारा अभिप्रेषणित एवं पुष्टि करते हैं, तथा मौर/अपने विन्यासित हस्ताक्षरों से इन दस्तावेज को प्रिभादित भी करते हैं।

*राजेंद्र जायसवाल*


प्रथम पक्षकार/पक्षकारों के हस्ताक्षर *शुभ्री नारा. जायसवाल* / *श्री. हनुमान*  
नाम तथा पिता का नाम *जायसवाल*


द्वितीय पक्षकार/पक्षकारों के हस्ताक्षर *श्री. हिमाशु. जीलंकी* / *शुभ्रेश जीलंकी*  
नाम तथा पिता का नाम

*हिमाशु* *शुभ्रेश*  
*शुभ्रेश जीलंकी* / *श्री. हिमाशु. जीलंकी*

अन्य पक्षकार/पक्षकारों के हस्ताक्षर  
नाम तथा पिता का नाम




गवाह 1 का नाम <i>श्री. सु. जीलंकी</i> / <i>श्री. सु. जीलंकी</i>	गवाह 2 का नाम <i>श्री. सु. जीलंकी</i> / <i>श्री. सु. जीलंकी</i>
पता <i>राजेंद्र</i>	पता <i>राजेंद्र</i>
हस्ताक्षर <i>शुभ्रेश</i>	हस्ताक्षर <i>शुभ्रेश</i>
आईडी का टाईप तथा नम्बर <i>8332.6268 0545</i>	आईडी का टाईप तथा नम्बर <i>3748 2899 1222</i>
124. <i>तिमरु सु. सु. सु.</i>	<i>134. सु. सु. सु.</i>








रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग  
मध्य प्रदेश







रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग  
मध्य प्रदेश

संपत्ति का नक्शा

बिक्रीत भवन (फ्लेट) शहर इन्दौर पर विफसित कालोनी "रामबाग" यहाँ पर स्थित भूखण्ड क्रमांक पुराना 178 व नया नंबर 62 पर निर्मित बहुमजिला भवन "सुशीला संकुल" पैकि द्वितीय मंजिल का भवन (फ्लेट) क्रमांक 203 है। सदर भवन (फ्लेट) का सुपर बिल्टअप एरिया 600 वर्गफीट (अर्थात 55.78 वर्गमीटर) है। सदर भवन (फ्लेट) की चतुःसीमा निम्नानुसार है :-

- पूर्व में : पैसेज पश्चात बेकलेन  
पश्चिम में : फ्लेट नंबर 201  
उत्तर में : फ्लेट नंबर 202  
दक्षिण में : मकान नंबर 63 नया नंबर 66

भवन (फ्लेट) क्रमांक 203

(प्रथमपक्ष)

(द्वितीयपक्ष)



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग  
मध्य प्रदेश

पंजीकरण मुद्रा :

इस दस्तावेज का इलेक्ट्रॉनिक पंजीयन दिनांक 28/12/2020 को क्रमांक  
MP179092020A1890229 दे कर किया गया है। जिसमें 24 पृष्ठ समाविष्ट हैं।


स्टाम्प शुल्क 83794

पंजीयन शुल्क 25427

प्रतिलिपि शुल्क 0



अधिक 0

योग 25427

  
CHANCHAL JAIN  
उप पंजीयक  
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर



203



**Notes:**

1. All work to be done as per approved plan.

2. The contractor shall be responsible for obtaining all necessary permits and approvals from the local authorities.

3. The foundation shall be as per the approved plan.

4. The structure shall be built with good quality materials.

5. The contractor shall be responsible for the safety of the workers and the public during the construction.

6. The contractor shall be responsible for the disposal of waste and debris during the construction.

7. The contractor shall be responsible for the maintenance of the site during the construction.

8. The contractor shall be responsible for the completion of the work within the stipulated time.

9. The contractor shall be responsible for the payment of all taxes and levies.

10. The contractor shall be responsible for the insurance of the property during the construction.

**Approved plan of Residential Bldg.**  
 of plot No. 62 (old) Kambeg Inaore.  
 S. To. Sushila Doshi Lamoda S. Vastak  
 K. M. R. M.

**Scale 1:100**

**Prepared by:**  
 S. K. Gupta  
 Civil Engineer  
 P. O. Box No. 100  
 K. M. R. M.

*S. K. Gupta*

*S. Vastak*

*K. M. R. M.*